# —: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद :—

पीठासीन अधिकारी :— देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :— 67 / 2025

**उनवान**

**जीवराज बनाम पूसा**

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सी.पी.सी.**

—: आदेश :— दिनांक :— 26.12.25

अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 2 से 4 ने उक्त आवेदन पत्र पेश कर निवेदन किया कि वादीगण द्वारा उक्त वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राज. काश्त. अधि. 1955 का पेश किया है। हाल खसरा नम्बर 406. 409 व 410 वादी संख्या 1 से 5 द्वारा ही जरियें पंजीबद्व विक्रय पत्र दिनांक 16.6.11 को नम्रता नोवाल को बैचान कर कब्जा सम्भलाया था। हाल खसरा नम्बर 412 व 415 के खातेदार नारायण, दयाल, मेवा, रामदेव, सुखदेव व चौथी के द्वारा भी जरियें पंजीबद्व विक्रय पत्र. दिनांक 16.6.11 को नम्रता नोवाल को बैचान कर कब्जा सम्भलाया था। हाल खसरा नम्बर 414 खातेदार धीरा पुत्र हरदेव के द्वारा जरियें पंजीबद्व विक्रय पत्र. दिनांक 16.6.11 को नम्रता नोवाल को बैचान कर कब्जा सम्भलाया था। उक्त समस्त आराजी केता नम्रता नोवाल द्वारा जरियें पंजीबद्व विक्रय पत्र दिनांक 24.02.2025 को प्रतिवादी संख्या 2 से 4 को बैचान कर कब्जा सम्भला दिया है। उक्त विक्रय पत्र आज भी प्रभावी है। वादी संख्या 1 से 5 व वादी संख्या 6 व 7 के पूर्वज धीरा पुत्र हरदेव के द्वारा बैचान किया गया है। अतः वादीगण को उक्त वाद लाने का कोई अधिकार नही है। विक्रय पत्र दिनांक 16.6.2011 के होने के कारण कोई वाद कारण उत्पन्न नही हुआ है। प्रकरण में विक्रेता को पक्षकार नही बनाया है। अतः वाद सव्यय खारिज किया जावे।

अधिवक्ता वादीगण ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण द्वारा कोई विक्रय पत्र निष्पादित नही किया है। प्रार्थीगण नाबालिग थे तथा नाबालिग का विक्रय पत्र शून्य होने से प्रार्थीगण के हितों पर बातिल व बेअसर है। विक्रय पत्र निरस्त कराने हेतु सिविल न्यायालय में वाद पत्र प्रस्तुत कर दिया है। पक्षकार बनाने हेतु अलग से आवेदन पत्र पेश कर दिया है। अतः प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज किया जावे।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। वादीगण द्वारा उक्त वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राज. काश्त. अधि. 1955 का पेश किया है तथा आराजी मुतनाजा पैतृक होने के कारण खातेदारी अधिकार व विभाजन चाहा है। हाल खसरा नम्बर 406, 409, 410 142, 414 व 415 हाल राजस्व अभिलेख में प्रतिवादी संख्या 2 से 4 के नाम दर्ज है। वादीगण द्वारा हाल खसरा नम्बर 410, 412, 414 व 415 का ही मिलान पेश किया है जिसके अनुसार आराजी मुतनाजा के वंर्किग खसरा नम्बर 408 मिन, 411, 410 बने है। वंर्किग खसरा नम्बर 408 के 0.07 का ही मिलान पेश किया गया है जबकि वंर्किग खसरा नम्बर 408 का कुल रकबा 3—16—10 है जिसके शेष रकबे का मिलान पेश नही किया गया है। वंर्किग खसरा नम्बर 408 अन्य खसरा नम्बर के साथ गंगा पत्नी लादू, उंकार, पूसा पि. लादू के नाम दर्ज है। औंकार के पुत्र वादी संख्या 1 व 2 है, पूसा पि. लादू प्रतिवादी संख्या 1 स्वयं है तथा वादी संख्या 3

—2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

से 4 पूसा पि. लादू के पुत्र है। वंर्किग जमाबंदी में भी उक्त हाल खसरा नम्बर 406, 409, 410 वादी संख्या 1 से 5 के पिता के नाम ही दर्ज है। आराजी मुतनाजा वादी संख्या 1 से 5 के दादा के नाम होने का कोई राजस्व अभिलेख वादीगण द्वारा पेश नही किया गया है, जबकि वह आराजी मुतनाजा पर पैतृक भूमि के आधार पर उक्त वाद लाये है। हाल खसरा नम्बर 406, 409 व 410 की आराजी वादी संख्या 1, 2, औंकार की पत्नी व पुत्री द्वारा तथा प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा दिनांक 16.6.11 को ही नम्रता नोरवाल को बैचान कर कब्जा संभला दिया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि खसरा नम्बर 406, 409, 410 की आराजी पर वादी संख्या 1 व 2 के खातेदारी अधिकारों का अवसान हो चुका है। वादी का कथन है कि विकय पत्र निष्पादन के समय वे ननाबालिग थे, किन्तु विकय पत्र अनुसार वादी संख्या 1 व 2 बालिग ही है। विकय पत्र में दर्ज जीवराज व पोलू की बहिन मांगी देवी व भागी देवी नाबालिग दर्ज है किन्तु उनके द्वारा प्रश्नगत वाद पेश नही किया गया है। वादी संख्या 6 व 7 के पूर्वज/पिता अथवा स्वयं के नाम उक्त आराजी हाल व साबिक राजस्व अभिलेख में अंकित नही होने के कारण वादी संख्या 6 व 7 का भी उक्त खसरा नम्बर पर कोई हक व अधिकार नही है। वादी संख्या 3 से 5 के पिता पूसा पुत्र लादू प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा उक्त आराजी का बैचान किया जा चुका है। वादी संख्या 3 से 5 के दादा के नाम उक्त आराजी अंकित होने का कोई प्रमाण पत्रावली पर नही है। वादी संख्या 3 से 5 के पिता पूसा पुत्र लादू की अन्य सम्पति पर खातेदारी अधिकार व विभाजन के लिये वादी संख्या 3 से 5 द्वारा कोई वाद पेश नही किया है मात्र अपने पिता द्वारा विकय की गयी आराजी पर ही उक्त वाद पेश किया है। हाल खसरा नम्बर 414 रकबा 0.84 के वंर्किग खसरा नम्बर 411 रकबा 5–3–0 वंर्किग जमाबंदी के खाता संख्या 60 में अन्य आराजी के साथ धीरा पुत्र हरदेव के नाम दर्ज है। धीरा पुत्र हरदेव द्वारा हाल खसरा नम्बर 414 का बैचान दिनांक 16.6.11 को ही नम्रता नोवाल को कर कब्जा व दखल सौप दिया था। उक्त खसरा नम्बर वादी संख्या 1 से 5 अथवा उनके पूर्वज के नाम कभी भी नही रहा इसके बावजूद भी उक्त खसरा नम्बर पर वादी संख्या 1 से 5 द्वारा वादी संख्या 6 व 7 के साथ उक्त वाद पेंश किया है। वादी संख्या 6 व 7 के पूर्वज धीरा पुत्र हरदेव के नाम हाल खसरा नम्बर 414 के अतिरिक्त वंर्किग जमाबंदी में लगभग 21–0–0 बीघा भूमि अंकित है। वादी संख्या 6 व 7 ने शेष आराजी बाबत कोई वाद पेश नही किया है। उनके पूर्वज द्वारा पूर्व में ही भूमि का बैचान व कब्जा सम्भलाये जाने के कारण वादी संख्या 6 व 7 को कोई वाद कारण उत्पन्न नही होता है। हाल खसरा नम्बर 412 व 414 के वंर्किग खसरा नम्बर 410 रकबा 2–10–10 वंर्किग जमाबंदी में छीतर व मोडा पि. नाथा के नाम दर्ज है। उक्त आराजी वादीगण/पूर्वज के नाम अंकित नही हैं अतः उक्त आराजी पर वादीगण को कोई हक व अधिकार प्रथम दृष्टया ही नही बनता है। वंर्किग खसरा नम्बर 410 के हाल खसरा नम्बर 414 व 415 के तत्कालीन खातेदार छीतर व मोडा पि. नाथा के वारिस द्वारा जरियें पंजीबद्व विकय पत्र दिनांक 16.6.11 को नम्रता नोवाल को बैचान कर कब्जा सौप दिया था। उक्त समस्त आराजी का नामान्तकरण तत्समय ही पंजीबद्व विकय पत्र की पालना में क्रेता नम्रता के नाम दर्ज कर दिया गया था। नम्रता द्वारा उक्त समस्त आराजी जरियें पंजीबद्व विकय पत्र प्रतिवादी संख्या 2 से 4 को दिनांक 24.2.25 को बैचान कर दी। तथा विकय पत्र का अंकन प्रतिवादी संख्या 2 से 4 के पक्ष में होने के कारण हाल राजस्व अभिलेख में आराजी प्रतिवादी संख्या 2 से 4 के नाम अंकित है। वादी संख्या 1, 2 व उनकी बहिनों द्वारा सिविल न्यायालय में हाल खसरा नम्बर 406, 409 व 410 के विकय पत्रों को निरस्त कराने हेतु वाद व प्रार्थना पत्र पेश किया है जो विचाराधीन है।

—3

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

उक्तानुसार स्पष्ट है कि हाल खसरा नम्बर 406, 409, 410 वादी संख्या 1 से 5 के दादा के नाम का राजस्व अभिलेख नही होने के कारण पैतृक सिद्व नही होता है। वादी संख्या 1 व 2 स्वयं तथा वादी संख्या 3 से 5 के पिता पूसा द्वारा उक्त आराजी जरियें पंजीबद्व विक्रय पत्र वर्ष 2011 में ही जरियें पंजीबद्व विक्रय पत्र बैचान किये जाने के कारण वादी संख्या 1 से 5 को उक्त आराजी पर कोई वाद कारण उत्पन्न नही होता है। वादी संख्या 1, 2 व उनकी बहिनों द्वारा सिविल न्यायालय में हाल खसरा नम्बर 406, 409 व 410 के विक्रय पत्रों को निरस्त कराने हेतु वाद व प्रार्थना पत्र पेश किया है, किन्तु वादी संख्या 3 से 5 द्वारा विक्रय पत्र की जानकारी होने के बाद भी विक्रय पत्र को निरस्त कराने हेतु वाद पेश नही किया है। हाल खसरा नम्बर 412 व 414 पर वादीगण अथवा उनके पूर्वजों को नाम दर्ज नही होने के कारण उक्त आराजी पर वादी संख्या 1 से 7 को काई हक व अधिकार नही हैं। खसरा नम्बर 414 का बैचान वादी संख्या 6 व 7 के दादा द्वारा पूर्व में ही किया जा चुका है। वादी संख्या 6 व 7 ने अन्य पैतृक आराजी का वाद पेश नही किया है। वादी संख्या 1 से 5 व 6 से 7 द्वारा अलग–अलग भूमि का एक ही वाद पेश किया है जबकि खसरा नम्बर 406, 409, 410 का वाद वादी संख्या 1 से 5 व खसरा नम्बर 414 का वाद वादी संख्या 6 व 7 ही पेश कर सकते थे। उक्त समस्त विक्रय पत्र पंजीबद्व होने के कारण व राजस्व अभिलेख में अमल दरामद होने के कारण उनकी सत्यता से इंकार नही किया जा सकता है। विक्रय पत्र की सत्यता के तथ्य सिविल न्यायालय द्वारा तय किये जायेगे। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज अनुसार आराजी मुतनाजा के अतिरिक्त अन्य भूमि भी वादीगण के पूर्वज की खातेदारी में दर्ज थी। वादीगण द्वारा मात्र विक्रय की गयी आराजी की खातेदारी व विभाजन हेतु वाद पेश किया है। शेष आराजी बाबत वादीगण द्वारा वाद पेश नही करने का कारण वाद में अथवा दौराने बहस स्पष्ट नही किया है। धारा 92 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अनुसार कई भूमि क्षेत्र व भूमि के बारे में एक ही दावा प्रस्तुत किया जा सकेगा। वादी संख्या 1 व 2 द्वारा सिविल न्यायलय में आराजी मुतनाजा के विक्रय पत्र को निरस्त करवाने हेतु वाद पेश किया है जो विचाराधीन है। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा आराजी मुतनाजा का विक्रय प्रतिवादी संख्या 2 से 4 को किया जा चुका है। वादीगण द्वारा उक्त वाद भूमि के पुश्तैनी होने के कारण खातेदारी प्राप्त करने के लिये पेश किया है जबकि उनके स्वयं द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 से 4 के विरूद्व पृथक से विक्रय पत्र निरस्त करने का वाद पेश किया है। वादीगण का कथन है कि उक्त विक्रय पत्र फर्जी व कूटरचित है। किन्तु पंजीकृत विक्रय पत्र की सत्यता का निर्धारण हाजा न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नही हैं। सिविल न्यायालय द्वारा विक्रय पत्र के सबंध में किये गये निर्णय से वादी व प्रतिवादी के मध्य उत्पन्न विवाद का निर्धारण किया जा सकता है। भूमि पैतृक होने के बावजूद आंशिक भूमि का वाद पेश करना व वादीगण तथा भिन्न–भिन्न आराजी बाबत एक ही वाद पेश करना वाद के कथनों पर संदेह उत्पन्न करता है। वादीगण को वाद कारण उत्पन्न नही होता है। वाद में वाद कारण स्पष्ट प्रदर्शित होना ही आवश्यक नही है वरन् वाद कारण उत्पन्न होना दस्तावेज से सिद्व भी होना चाहिये प्रस्तुत प्रकरण में वाद कारण उत्पन्न नही होने व प्रश्नगत खसरा नम्बर पर वाद के कथन सिद्व नही होने से वाद की कार्यवाही आगे चलाना न्यायोचित नही है। विक्रय पत्र अनुसार भूमि का कब्जा विक्रय पत्र दिनांक 16.6.11 से नम्रता नोवाल व उसके बाद प्रतिवादीगण प्राप्त कर चुके है। विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादीगण द्वारा दौराने बहस व प्रार्थना पत्र में उठाये गये तथ्यों से वाद विधि द्वारा वर्जित सिद्व होता है। वाद इसी स्तर पर निरस्त करने योग्य है।

अतः प्रतिवादीगण/प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र **"स्वीकार"** किया जाता है। वादीगण का वाद खारिज किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद